राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– प4(ई)(1)(6)एसीपी / अलेसे–III / 1994 / 2361 दिनांक :– 14-9-2018

आदेश संख्या : 211

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.11(7)वित्त(नियम) / 2008 / दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11(7)वित्त(नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 14(88)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008–I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड 2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4800 / – स्वीकृत की जाती है।

क. सं	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी. पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1*	श्री अशोक कुमार गुप्ता (8907)	आर–82 / 1994	22.03.1999	22.03.2017	9 वर्ष की एपीएआर जॉच के आधार पर देय

***उपरोक्त कम संख्या 1 पर अंकित** क0लेखाकार के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं हैं।
5. गत 7 वर्षो से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांकः– प4(ई)(1)(6)एसीपी / अलेसे–III / 1994 / 2361 दिनांकः– 14-9-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. संबंधित विभागध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)